तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
06/03/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। वकील उभयपक्ष द्वारा बहस की गयी। हमने वकील उभयपक्ष बहस सुनी। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 07/03/25 को पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)
07/03/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। वकील उभयपक्ष बहस पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात, प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत जवाब, तहसीलदार बांदीकुई की रिपोर्ट, पत्रावली का अवलोकन एवं वकील उभयपक्ष बहस पर मनन करने के आधार पर वादीगण वाद पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात, रिपोर्ट, जवाब एवं वकील उभयपक्ष बहस के आधार पर वादीगण वाद पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण फैजलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] 7/3/25 उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

प्रकरण संख्याः– 34 / 2024
प्रकरण दायर दिनांकः–25.02.2021
प्रकरण निर्णय दिनांकः–07.03.2025

उनवान

1. रामखिलाडी सैनी पुत्र मुल्या सैनी
2. मेवाराम पुत्र मुल्या सैनी
3. दिनेश पुत्र मूल्या सैनी
4. प्रेम पुत्री मुल्या सैनी
5. मल्ली पुत्री मुल्या सैनी हीरालाल पुत्र मूल्या सैनी
6. हीरालाल पुत्र मूल्या सैनी
7. गुल्ली देवी बेवा मुल्या सैनी

बनाम

1. क्षेत्रीय वन अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा
2. जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील बसवा जिला दौसा

दावा इन्द्राज दुरूस्ती तरमीम नक्शा ट्रेस एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादीगण द्वारा विरूद्ध प्रतिवादीगण जर्ये वकील श्री हंसराज जांगिड के इस आशय से पेश किया है कि भूमि काश्त आराजीयात खाता संख्या नया 72 व पुराना 72 के खसरा नंबर 462 रकबा 0.32 वाके रामा बडाबास पटवार हल्का भाण्डेडा में स्थित है। जिसको आगे चलकर भूमि मुतदाविया के नाम से संबोधित किया जावेगा। भूमि मुतदाविया उपरोक्त वर्णित समस्त वादीगण की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है जिसका आवंटन वादीगण के पिता मुल्या व बुद्धा को संवत् 2033 से 2036 में आवंटन कमेटी द्वारा वादीगण के पिता को हुयी थी। जिसके पश्चात वादीगण के पिता मूल्या उक्त भूमि पर बतौर गैर खातेदारी प्राप्त हुई और मुताबिक कब्जा अनुसार आवंटन के बाद गैरखातेदारी दे दी गई। तब से लेकर आज दिन तक वादीगण उपरोक्त भूमि मुतदाविया को वादीगण के पिता को गैर खातेदारी से खातेदारी में परिवर्तन कर नामान्तकरण खातेदारी का वादी के पिता के नाम से खोल दिया गया। और वादीगण के पिता ने अपनी खातेदारी की भूमि में रिहायश हेतु पुख्ता आवासीय मकान पाठौल–छप्पर पोश आदि बना कर रिहायशी करता चला आ रहा था एवं तब से लेकर आज तक उक्त भूमि पर काबिज रह कर कास्त करते चले आ रहे है। उपरोक्त वर्णित भूमि मुतदाविया को राजस्व अधिकारी / कर्मचारी व सैटलमेन्ट कर्मचारियों ने सहवन से नक्शा ट्रेस में सहवन से तरमीम करते समय नक्शे में वादीगण की भूमि को गलत इन्द्राज नक्शा में तरमीम कर खसरा नंबर 462 को वन विभाग की भूमि में वादीगण की भूमि खसरा नं. 462 से करीबन एक किलोमीटर दूर दर्ज कर अंकित कर दिया जबकि

Scanned with OKEN Scanner

वन विभाग की भूमि आराजी खसरा नंबर 461 वादीगण की भूमि से एक किलोमीटर दूर है और नक्शे अनुसार वादीगण की भूमि एक नालानुमा नक्शा में तरमीम कर खसरा नं. 462 वादीगण की भूमि दर्शा रखी है। किन्तु राजस्व कर्मचारी व सेटलमेन्ट कर्मचारी द्वारा सेटलमेन्ट के बाद उक्त भूमि को नक्शा में गलत इन्द्राज कर वन विभाग की भूमि में दर्शा दिया गया है। जो वादीगण की रिहायशी मकानात व कब्जा काश्त से एक किलोमीटर दूर है। उपरोक्त भूमि मुतदाविया को राजस्व कर्मचारी व सेटलमेन्ट कर्मचारियों ने सहवन से नक्शा ट्रेस में तरमीम करते समय नक्शे में वादीगण की भूमि का गलत इन्द्राज कर वन विभाग की भूमि खसरा नं. 461 के स्थान पर नक्शा पर दर्शा दिया जो गलत दर्शाया है वादीगण अपने पिता के समय से खसरा नं. 462 पर काबिज है और पुख्ता मकानात रिहायशी बना कर, विद्युत कनेक्शन लेकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। किन्तु सैटलमेन्ट राजस्व कर्मचारियो ने सहवन से उक्त खसरा नंबर 462 को नक्शे में गलत जगह इन्द्राज कर दिया। जो कानूनन वादीगण गलत नक्शा ट्रेस इन्द्राज तरमीम कराने के अधिकारी है। वादीगण को अपने उक्त गलत इन्द्राज कि पूर्व में कोई जानकारी नहीं रही है। अब वादीगण अपनी खातेदारी की भूमि के नक्शा ट्रेस गलत इन्द्राज की जानकारी वन विभाग के कर्मचारियो द्वारा मकान निर्माण कार्य को रूकवाने वन विभाग कर्मचारी पहुँचे और कहा कि यह मकान तुम वन विभाग कि भूमि में बना रहे हो तब जाकर सेटलमेन्ट कर्मचारियों ने नक्शा ट्रेस में रिकॉर्ड में प्रार्थी की खसरा नंबर 462 भूमि को गलत इन्द्राज कर दिया है भूमि के पूर्व नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदियों में उक्त भूमि प्रार्थीगण के कृषि कार्य की रही है। परंतु बाद में सेटलमेन्ट कर्मचारियों ने गलत अंकन की पूर्व में कोई जानकारी नहीं दी है। अतः दावा अंदर मियाद पेश है। यह है कि बिनाय दावा व बिनाय मुखास्मूत दिनांक 15.01.2021 को प्रतिवादी द्वारा रिकॉर्ड दुरूस्थी करने की मना करने से अंदर हदूद न्यायालय हाजा पैदा हुयी है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि बाद तहकीकात दावा वादीगण वर खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न इस्तदुआ दादरसी स्वीकार करते हुये डिक्री फरमाया जावे कि:– बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी फरमायी जावे कि भूमि मुतदाविया वर्णित पैरा नं. 1 जिसके खाता संख्या नया 72 व पुराना 72 के खसरा नंबर 462 रकबा 0.3200 हैक्टेयर वार्षिक लगानी 2 रूपये 8 पैसा वाके रामा मौजा बडाबास पटवार हल्का भाण्डेडा में नक्शा ट्रेस की जगह दुरूस्ती कर खसरा नंबर 462 को पूर्व नक्शा ट्रेस की जगह दुरुस्ती कर तरमीम की जावे व प्रतिवादीगण को इस आशय से स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे कि वो वादीगण की भूमि से किसी प्रकार की दखलअंदाजी कब्जा काश्त में निर्माण आदि में नहीं करें। खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण जर्ये नोटिस विधिवत की गयी। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से एड. श्री आर. के. मीना उपस्थित आये तथा जबाब दावा पेश किया कि वाद पत्र का पैरा नंबर एक सही होना स्वीकार है वाद पत्र का पैरा नंबर दो गलत है एवं स्वीकार नहीं है वादीगण द्वारा उपरोक्त पैरा में यह कही पर भी नहीं बताया है कि वादीगण के पिता को किस खसरा नंबर की भूमि का व किस किस्म की भूमि का आवंटन हुआ है। अतः वादीगण वाद चलने योग्य नहीं है। वाद पत्र का पैरा नंबर तीन, चार व पांच गलत है एवं स्वीकार नहीं है क्योकि वादीगण द्वारा कोई मौका

Scanned with OKEN Scanner

रिपोर्ट पेश नहीं की गयी है। वादीगण द्वारा खसरा नंबर 462 की आड में खसरा नंबर 461 जो कि वन विभाग की भूमि है, उस पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रहा है। जिसको हटाया जाना आवश्यक है। वाद पत्र का पैरा नंबर 6 गलत है स्वीकार नहीं है। वाद पत्र का पैरा नंबर सात, आठ मय इस्तदुआ अ, ब, स गलत है एवं स्वीकार नहीं है। वन बंदोबस्त रिकॉर्ड ग्राम भाण्डेडा बनावण्ड प्लान्टेशन बांदीकुई 1957 से 60 के अनुसार वर्णित हाल खसरा नंबर का 80 प्रतिशत हिस्सा वन भूमि है। हाल राजस्व खसरा मैप तथा वन बंदोबस्त खसरा नक्शा जिस पर वन भूमि को लाल स्याही से तरमीम किया हुआ है, दोनो का अवलोकन करने पर हाल खसरा नंबर 462 का 80 प्रतिशत हिस्सा वन भूमि में आता है इससे लगता हुआ खसरा नंबर 466 जो वर्तमान में खातेदारी के रूप में दर्ज है वह पूर्णतया वन भूमि में आता है हाल खसरा नंबर 462 की वस्तुस्थिति के संयुक्त सर्वे करवाया जाना प्रस्तावित है। वादीगण वर्तमान में रिकॉर्ड अनुसार वन भूमि में पक्का मकान का निर्माण कर रहा था, वन भूमि में बिना सक्षम अनुमति के गैर वानिकी कार्य किया जाना वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन की श्रेणी में आता है वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन ना हो इसलिए भवन मिाण कार्य बंद करवाया गया था। वादीगण द्वारा वर्णित खसरा नंबर 462 की तरमीम का दुरूस्ती नहीं की जावें। राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित वन भूमि में तरमीम नहीं की जावें। वन बंदोबस्त रिकॉर्ड अनुसार गैर वन भूमि में तरमीम की जावें, जब तक तरमीम का दुरूस्तीकरण नहीं हो जाता तब तक वादीगण के द्वारा किसी भी प्रकार का कार्य नही करने हेतु पाबंद किया जावें। अतः जबाब पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें। तहसीलदार बांदीकुई की रिपोर्ट अनुसार वादी वन विभाग की भूमि में तरमीम करवाना चाहता है वन विभाग की भूमि में संशोधन (तरमीम संशोधन) इस कार्यालय से किया जाना संभव नहीं है क्योकि कार्यालय सक्षम नहीं है अतः दावा खारिज योग्य है।

प्रकरण में वादीगण वाद एवं जबाब प्रतिवादी संख्या 01 के अभिवचन के आधार पर तनकी कायम की गयी। वादीगण की ओर से वाद की ताईद में साक्ष्यवादी शपथ पत्र रामखिलाडी सैनी, मेवाराम का पेश किया। प्रतिवादी वकील द्वारा साक्ष्यवादी जिरह नहीं कर सीधे बहस की गयी।

हमने वकील उभयपक्ष बहस सुनी। उभयपक्ष वकुलाय ने वाद पत्र/ जबाब वाद पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया वादीगण वकील ने भूमि मुतदाविया में नक्शा ट्रेस की सही दुरूस्थी कर तरमीम करने व प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किये जाने बाबत निवेदन किया। तथा प्रतिवादीगण वकील द्वारा बहस में वादीगण द्वारा वन भूमि में अवैध निर्माण कर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होना बताया तथा वाद पत्र में वर्णित भूमि खसरा नंबर 462 की तरमीम की दुरूस्ती नहीं कर राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित वन भूमि में तरमीम नहीं करने बाबत निवेदन किया। हमने वकील उभयपक्ष बहस पर मनन किया। वादीगण वादपत्र एवं जबाब प्रतिवादीगण संख्या 01 का अवलोकन किया।

Scanned with OKEN Scanner

वादीगण वाद में वादीगण द्वारा कोई पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नहीं किये जाने तथा वाद में अंकित भूमि वन भूमि की श्रेणी में होने एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होने के मध्यनजर वादीगण वाद में अंकित भूमि की तरमीम/दुरूस्ती किया जाना विधि संगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उभयपक्ष वकील बहस पर मनन करने एवं वाद पत्र में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजात, जबाब दावा प्रतिवादीगण संख्या 01 व तहसीलदार रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर वादीगण वाद दावा इन्द्राज दुरूस्ती तरमीम नक्शा ट्रेस एवं स्थायी निषेधाज्ञा पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 07.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

07/3/25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)